क्रान्तिकारी कृषक एवं आंदोलन से उभरती नयी चेतना एक अध्ययन

डॉ0 नीलम गौड, प्राचार्य,, व्यापार मण्डल कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हनुमानगढ़।

प्रस्तावित शोध की भूमिका

राजस्थान भी भारत के अन्य प्रांतों की भांति कृषि प्रधान प्रान्त है। जिसमें कृषकों का सीधा संबंध राज्य से या जागीरदारों से रहा है। परम्परा के अनुसार कृषक और राज्य या जागीरदारों के संबंध मधूर थे। वे अपनी उपज का कुछ भाग अपने स्वामी को उपहार के रूप मे देते थे।

परन्तु राज्यों का ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंध स्थापित होने के पश्चात स्थिति में एक नया परिवर्तन आया। इधर राजा–महाराजा अंग्रेजों की छत्र–छाया में मौज शौक का जीवन बिताने लगे और इधर उनके सामन्त भी अपने स्वामियों का अनुसरण करने में पीछे नहीं रहे। जब अंग्रेजों का एक निश्चित खिराज राज्यों को देना होता था तो उन्होंने अपने जागीरदारों से भी सेवा के बदले निश्चित कर (छछूंद) लेना प्रारम्भ कर दिया। शनैः शनैः ये स्वच्छन्दता निरंकुशता मे परिणित होती गई। इससे कृषको का ऐच्छिक उपहार के रूप में बदलाव और एक शोषण की कुत्सित प्रणाली बन गई।

ज्यों–ज्यों जागीरदार के खर्चे और निरंकुषता बढ़ती गई त्यों–त्यों कृषकों का आर्थिक भार बढ़ता गया। लगान के अतिरिक्त कई लागतें ली जाने लगी जिनकी संख्या 100 से अधिक तक जा पहुंची। यदि जागीरदार के यहां विवाह, जन्म–मृत्यु, त्यौंहार आदि का अवसर होता तो इन्हें विशेष लागतों की अदायगी करनी पड़ती थी। गढ़ बनवाने, कवेलू ढकने, जेवर बनाने, घास काटने, हल चलाने, षिकार पकड़ने आदि विषयों का ठिकाने का खर्च कृषकों और दस्तकारों पर था। शिकार के अवसर पर या सरकारी अधिकारियों के दौरे पर किसान ठंडी रात में भी चौकसी के लिए लगाये जाते थे। उनकी गाड़ियां, हल, खेत के औजार, यहां तक की महिलाएं और बच्चे राजकीय उपयोग के लिए निर्धारित थे जिनका बिना कीमत दिये काम में लेना जागीरदार का विशेष अधिकार था। ठिकानेदार लोग बागों से अमानवीय ढंग से कर वसूल करता था। फसल की बुवाई हो या कटाई, शादी हो या मरण, दुष्काल हो या महामारी ठिकाना बिना किसी विवेक के कर वसूली करता था। इसके अतिरिक्त बेगार प्रथा से कृषक इतना व्यक्ति था कि उसके ना करने पर उसे कठोर यातना कर सकता था।

क्रांतिकारी कृषकों के बढ़ते हुए असंतोष जुड़ गए और उनमें एक नयी चेतना का संचार कर दिया। कृषकों का असंतोष स्वभावतः जनता का असन्तोष था और उनकी आवाज में अपनी आवाहज मिलाना युक्ति एवं नीति संगत भी था। अतएव क्रांतिकारी एवं कृषकों की आवाज थी। ये आन्दोलन बिजोलिया, बेंगू, बूंदी, सीकर, शेखावटी, मारवाड़ बीकानेर आदि स्थानों में केन्द्रित हो गया। इन आन्दोलनों का कारण ठिकानों द्वारा किसानों का आर्थिक शोषण था।

प्रस्तावित शोध के सोपान

कृषकों के असंतोष का एक अन्य कारण अफीम की खेती का काम होना था। सामान्य कृषक को तो यह पता नहीं होता था कि किन कारणों से ऐसा हो रहा था, वह तो केवल यह जानता था कि अफीम खेती कम होने से व्यापारियों ने कृषकों को नकद राषि पेशनी देना बंद कर दिया था। व्यापारियों के ऐसा करने से कृषकों ने अफीम की खेती के कम होने का उत्तरदायित्व ठिकानेदार पर थोप दिया और व्यापारी की निर्दोष कर दिया। अफीम की खेती से चाहे कृषक को लाभ कम हो लेकिन व्यापारियों के नकद राषि पेशनी दे देने से कृषक को बहुत असुविधा होती थी।

उपर्युक्त वर्णन से इतना तो स्पष्ट हो गया था कि बिजौलिया के कृषकों को महाराणा से अथवा जागीरदार से उनकी समस्या हल करने में किसी सहायता की आषा नहीं थी। उनकी स्थिति तो खराब थी ही। प्रथम विश्व युद्ध कोष में धन जमा करना जागीरदार इस कोष को कृषकों पर लाद रहे थे। बिजौलिया में भी ऐसा ही हुआ और 1916 में युद्ध कोष में धन जमा करवाना कृषकों के लिए कमरतोड़ बोझ हो गया और इस व्यापक आन्दोलन आरम्भ होने की सम्भावना उत्पन्न हो गई। ऐसे में किसी भी ऐसे व्यक्ति को नेतृत्व मिल सकता था जो उनको थोड़ी भी आशा बंधा सके।

प्रस्तावित शोध का महत्त्व

पथिक 1916 के अनत में बिजौलिया आये। उन्होंने लोगों को साहस और देश भक्ति का पाठ पढ़ाया। यहां आकर माणिक्यलाल वर्मा व और साधु सीताराम के सहयोग से विद्या प्रचारिणी के कार्य उत्पन्न की। पाठशालाएं और पुस्तकालय के माध्यम से ठिकाने के अत्याचार से छुटकारा पाने के उपायों से लोगों को अवगत कराया। उनकी कार्य प्रणाली में क्रांतिकारियों से साहत तिलक की कूटनीति और गांधी जी के सत्याग्रह हा सामंजस्य था। उन्होंनं किसानों को कष्ट सहन कर मारपीठ न करने और अपनी मांग पर डटे रहने का पाठ पढ़ाया। वे खुद छिप कर रहने लगे और ठिकाने के खिलाफ, रिसासत में शिकायतों का और अखबारों में प्रकाशन का दोहरा कार्य चलाने लगे। पंचायत का मजबूत संगठन कर लिया गया। इस संगठन का कार्य माणिक्यलाल, मन्नालाल पटेल, लक्षण पटेल तथा जगन्नाथ संचालन करते थे। उसकी एक केन्द्रिय कमेटी बनाई गई और गांवों में उसकी शाखायें स्थापित हो गई। पंचायत बोर्ड अवैध लाग बाग और लगान न देने के लिए किसानों का मार्गदर्शन करता था। सभी ग्रामवासी इस यज्ञ में शरीफ हुए। आन्दोलन के लिए बाहर से वितीय सहायता न मांग कर किसानों से ही कोष इकट्ठा कर लिया गया । यह स्वावलम्बन आखिर एक रहा और यही एक बड़ी सीमा तक बिजौलिया की सफलता का रहस्य था।

प्रस्तावित शोध के उद्देश्य

आस–पास के गांवों में किसानों ने सत्याग्रह छेड़ दिया। ठिकानों की आज्ञाये न मानना, उसे कोई कर न देना और उसकी अदालत व पुलिस से संबंध न रखना मुख्य कार्यक्रम बना। ठिकाने ने भय, प्रलोभन और दमन के सभी हथकंडे आजमाये। बूढ़े किसानों के साथ मारपीट की गई, उन्हें जेल में ठूंसा गया, जुर्माने व जब्तियां हुई और अन्त में उनकी खड़ी फसले नष्ट कर दी गई। पथिक की सूझ विलक्षण थी। उनके सुझाव पर पंचायत ने यह तय किया कि सत्याग्रह जारी रहे, सत्याग्रही लोग शराब छोड़ दें, शादी और मोसरबंद रखें और बिजौलिया की सारी जमीन पड़त रख कर आस पास के ग्वालियर, इनदौर, कोटा और बूंदी के इलाकों में खाने भर की खेती कर लें। किसानों में फूट डालनें वालों का असर न पड़ने दें। उनकी आर्थिक शक्ति मजबूत रखने और ठिकानों से जूझने के लिये यह कार्यक्रम बड़ा जरूरी था। इस पर अमल भी इतनी कड़ाई से हुआ कि पांच, छः वर्ष तक ठिकाने को लगान मिला और नही मुकदमें उनकी कचहरी में गये और युद्ध का चन्दा न देने के लिए किसान कटिबद्ध हो गये। शराब की दुकानों का बहिष्कार रहा और शादी गमी के काम रूके रहे। ठिकाना बुरी तरह कर्जदार हो गये।

शोध का निष्कर्ष

इस आन्दोलन की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि उस समय वन्दे मातरम की आवाज बिजोलिया के कोने–कोने में गूंजती थी। हर स्त्री–पुरूष का यही अभिवादन था। एक छोटे से क्षेत्र में मातृ भूमि की पूजा के भाव नर–नारी, बाल–वृद्ध सभी के ह्रदयतंत्र में बज रहे थे। पंचायत के संगठन में डाकवाले का पद बड़े भरोसे और महत्व का था। मगर तुलसी भील बिजोलिया के किसानों को एक असाधारण संदेशवाहक मिला था। उसने सब तरह के भय और प्रलोभनों से ऊपर उठ कर पंचायत की सेवा की। इस प्रकार यह 24 घण्टे में 70 मील का लगातार सफर कर लेता था। ऐसे सैंकड़ो कार्यकर्ता पथिक जी के प्रभाव से पैदा हो गये थे।

पथिक की प्रेरणा से किसानों ने पंचायत की कार्यवाही से संबंधित सभी दैनिक राजनीतिक कार्य करने प्रारंभ किये। स्थिति को बिगड़ती देख ब्रिटिश सरकार ने मेवाड़ राज्य तथा जागीरदारों के आन्दोलन को दमनकारी तरीके से कुचलने के आदेश दिये। इसके अनुसार बिजोलिया मे हजारों किसान तथा कई नेता गिरफ्तार कर लिए, जिनमें साधु सीताराम, माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, प्रेमचन्द भील सम्मिलित थे। किसानों की स्त्रियां और बच्चे भी इससे वंचित नहीं रखे गये। जागीरदार ने सभी किसानों की भूमि पर जब्ती बिठा दी। उनके मकान धराशायी कर दिये गये, उनके हल और बैलों को रावले भेजा गया। उनके सामान को नीलाम कर दिया गया। खेतों के इंधन व भूसे एवं खड़ी फसल को अग्नि के हवाले कर दिया। जेल में भी कई पाशविक यातनाओं से कृषकों और नेताओं को दण्डित किया गया। इस प्रकार की दृढ़ता के समाचार भारत वर्ष के कोने–कोने में फैल गए। महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, तिलक, गणेष शंकर विद्यार्थी आदि नेता बिजोलिया की राष्ट्रीय भावना से बड़े प्रभावित हुए। समाचार पत्रों ने इस आन्दोलन की देष में धूम मचा दी। इस स्थिति का संचालन पथिक जी कोटा करते रहे। अपनी गुप्तचर व्यवस्था से वर्मा जी जेल से ही राजकीय गतिविधियों का पता लगाते रहे और उसके अनुसार संगठन के कार्यक्रम को चलाते रहें। उन्होंने गुप्त रूप से प्रचार करे जनता के मनोबल को इतना मजबूत बना दिया कि उसको राज्य, पुलिस व किसी का काई भय ही न रहा। समस्त ऊपरमाल अंचल सत्याग्रह संबंधी गीतों से गूंज रहा था। इतना ही नहीं समिति द्वारा युवकों को देश भक्ति के मंत्र से दीक्षित कर एक बड़ी युवक मंडली तैयार कर ली।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. नागौरी, एस.एल. : ऐतिहासिक निबंध, राजस्थान पत्रिका प्रकाशन,1998
2. नागौरी, एस.एल. : अलवर का इतिहास, जयपुर 1981 ई.
3. नागौरी, एस एल : भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं का योगदान, जयपुर 1997 ई.
   व नागौरी कांता
4. नैयर, सुशीला : कस्तूरबा, आगरा, 1967 ई.
5. नटराजन, एल : भारत में किसान विद्रोह, (1850–1900), 1988 ई.
6. ओझा, जी.एच., : ओझा निबन्ध संग्रह, भाग 1 से 5, विद्यापीठ, उदयपुर, 1959ई.